हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible] पत्रावली आज पेशी में ली गई। पत्रावली दि. [illegible] को राजस्व लोक अदालत कैम्प कनकवाकलां पर पेश हो। पक्षकारों को सूचित किया जावे। (हस्ताक्षर) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	
[illegible] पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कुनकवकलां पर पेश हुई। वादी सुल्तानसिंह उपस्थित है। प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हैं। वादी की समझाइश की गई। वादी ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि दावे में प्रारूपीय त्रुटि होने के कारण वादी नवीन दावा पेश करने की अनुमति के साथ अपना दावा वापिस लेना चाहता है। इसी अनुसार दावे का निस्तारण कर दिया जावे। वादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी को नवीन दावा पेश करने की अनुमति के साथ यह दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर) (रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (बाबूलाल जाट) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी	ह. सुल्तान सिंह

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कुनकटा कलॉ

पीठासीन अधिकारी-: बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

उनवान

...सिंह पुत्र श्री सम्पतसिंह, राजपूत निवासी मच्छीपुरा तह0 गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

...लाल जैमिनी पुत्र श्यामलाल जैमिनी ब्राह्मण निवासी मूर्ति मौहल्ला तह0 गंगापुर

...प्रकाश जैमिनी पुत्र रामहेत जैमिनी ब्राह्मण निवासी मूर्ति मौहल्ला तह0 गंगापुर

...देवी पत्नी स्व0 रामहेत जैमिनी ब्राह्मण निवासी मूर्ति मौहल्ला तह0 गंगापुर

...सरकार जरिये तहसीलदार तह0 गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

दावा नं. – 194/2012

वादी की ओर से श्री सुल्तानसिंह की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 9.5.2018 को ...लाल जाट (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया ... है और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में वादी द्वारा प्रस्तुत दावे में प्रारूपिक त्रुटि होने के कारण अपना दावा ... लेने हेतु एवं नया दावा प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया है। अतः वादीगण को वाद वापिस ... एवं नया दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

... तारीख 9.5.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

बाबूलाल जाट
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
...के लिए स्टाम्प ...पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प ______ रूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रपत्र–4

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
केम्प कोर्ट का स्थान :– कुनकटा कलां

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 9.5.2018

पीठासीन अधिकारी महोदय,

[illegible]

कुश्लानसिंह बनाम स्पाल दला

[illegible] 191/2 अन्तर्गत धारा 88, 188, 207 R.T. Act.

[illegible] में वादी/वादी श्री कुश्लानसिंह

[illegible] उक्त प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो [illegible] कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। [illegible] राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :–

[illegible]

[illegible] है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

प्रतिवादी पक्ष 1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

कुश्लानसिंह

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ....

(प्रतिवादी पक्ष) नाम ....

सरपंच ग्राम पंचायत कुनकटा कलाँ पं.स. गंगापुर सिटी (स.मा.)

कुश्लानसिंह ...... एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी X

[illegible] उपर सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना [illegible] राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

(... कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी

(सतीशकुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी

(बाबूलाल ...) अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी